एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक का प्रथम संस्करण

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था

प्रसंग

- हाल ही में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में 'भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा' विषय पर आयोजित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया।
- विदित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित किया गया था और इस दिन को आयोजित किए जाने हेतु,पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं, फसल विविधीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण क्षेत्र सुधारों पर विचार-विमर्श करने और चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रथम सूचकांक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन मूल्यांकन हेतु पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक प्रकाशित।

सामान्य श्रेणी के तहत शीर्ष 3 राज्य	
1.	ओडिशा
2.	उत्तर प्रदेश
3.	आंध्र प्रदेश

विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों का क्रम	
1.	त्रिपुरा
2.	हिमाचल प्रदेश
3.	सिक्किम

विशेषताएँ

- सुधारों का मूल्यांकन
    - यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- एनएफएसए वितरण पर केंद्रित
    - वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।

सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित

- राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं:
    - एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान,
    - डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और
    - पोषण संबंधी पहल
- प्रकाशित सूचकांक में पहले मूल्यांकन स्तम्भ का 45 फीसदी योगदान है, जबकि दूसरे स्तम्भ का महत्व 50 फीसदी है। तीसरा एक उभरता हुआ स्तंभ है।
- पहले स्तंभ को लाभार्थी कवरेज और सही लक्ष्यीकरण, एनएफएसए के अन्य प्रावधानों और शिकायत समाधान के तीन पहलुओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को 15 प्रतिशत भार है। दूसरे स्तंभ को आवंटन और आंदोलन और अंतिम मील वितरण में विभाजित किया गया है और प्रत्येक को 25 प्रतिशत भार दिया गया है।

राज्यों का प्रदर्शन

- सामान्य श्रेणी के अंतर्गत राज्यों का प्रदर्शन
    - लाभ के वितरण को अनुकूलित करने हेतु लचीला खाद्य प्रणाली निर्मित करने की मंशा से राज्य रैंकिंग सूचकांक एनएफएसए-2022 में ओडिशा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

- ओडिशा, जिसे 0.836 का सूचकांक स्कोर प्राप्त हुआ, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश को 0.797 सूचकांक स्कोर मिला, वहीं आंध्र प्रदेश का सूचकांक अंक 0.794 था।

शीर्ष स्थान प्राप्त ओड़ीसा राज्य का प्रदर्शन

- एनएफएसए के पहले स्तंभ अर्थात कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान आधार पर ओडिशा 0.870 प्राप्त अंक के साथ चौथे स्थान पर है।
- दूसरे स्तंभ में ओडिशा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 0.790 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है।
- 2015 में राज्य में एनएफएसए के कार्यान्वयन के बाद से, ओडिशा ने टीपीडीएस संचालन के एक मजबूत एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण के साथ इसका पालन किया है।
- राज्य में 3.25 करोड़ के डिजिटाइज्ड लाभार्थियों के डेटाबेस को सार्वजनिक डोमेन में होस्ट किया गया है।
- 378 राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) केंद्रों में गतिशील रूप से अद्यतन किया गया है, 314 ब्लॉक और 64 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में से प्रत्येक में एक है।
- इसके अलावा, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के सभी 152 खाद्य भंडारण डिपो को राज्य भर में 12,133 उचित मूल्य की दुकानों पर प्रति माह 1.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की वास्तविक समय पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के प्रावधान के साथ पूरी तरह से स्वचालित किया गया है।
- विदित है कि वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) कार्यक्रम जुलाई 2021 से पूरे राज्य में लागू किया गया है।
- पीडीएस लाभार्थी अब राशन कार्ड की अंतर-राज्य / अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा रहे हैं और प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद और सुविधा के किसी भी उचित मूल्य की दुकान का चयन करने में सक्षम हैं।
- लगभग 1.10 लाख परिवारों को अंतर-राज्यीय सुविधा के माध्यम से और 533 परिवारों को अंतर-राज्यीय सुविधा के माध्यम से हर महीने राशन प्राप्त हो रहा है।

- **विशेष श्रेणी के शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य**
    - विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर, हिमालय और द्वीपीय राज्यों) में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- **एनएफएसए कवरेज, लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन आधार पर मूल्यांकन**
    - झारखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने एनएफएसए के प्रावधानों को कवरेज, लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन के मामले में सर्वोच्च स्कोर किया।
- **टीपीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता**
    - बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीपीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को प्रदर्शित करने वाला सबसे अच्छा वितरण मंच था।

महत्व

- खाद्य सुरक्षा और भूख के मामलों को प्रभावी माध्यम से संबोधित करते हुए राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, सहयोग और अधिगम पर केन्द्रित सूचकांक का विकास किया गया है।
- इसे सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वसनीय और मानक डेटा प्रकाशित करके व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की मंशा से विकसित किया गया है ।
- इसका उपयोग वैश्विक और भारतीय एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में भोजन का अधिकार

- यद्यपि, भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

- विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, अपने सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी भोजन तक पहुंच प्राप्त हो। साथ ही, यह भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता की विशेषता को समाहित किए हो।

कब पारित हुआ?

- सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया था।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रावधान

- इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75%ग्रामीण आबादी और 50%शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है।
- इस प्रकार यह लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करती है।
- पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूं / मोटे अनाज क्रमश: 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का अधिकारी है।

महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान

- इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं।
- 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। निर्धारित खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।

- इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं।
- चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा व नगर हवेली में अधिनियम नकद अंतरण विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्य राजसहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके बाद उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प होता है।

निष्कर्ष

- प्रकाशित सूचकांक के अनुसार, अधिकांश राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस इंस्टॉलेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- यद्यपि, राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में राज्य खाद्य आयोगों के सामाजिक सर्वेक्षण से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावना सुदृढ़ होगी।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस